1. फतेहपुर
2. गोण्डा
3. गाजीपुर
4. देवरिया
5. चन्दौली
6. चित्रकूट
7. बहराईच
8. बस्ती
9. बाराबंकी
10. बांदा
11. बलरामपुर
12. बलिया
13. आजमगढ़
14. अयोध्या
15. अमेठी
16. अम्बेडकरनगर
17. मऊ
18. हमीरपुर
19. जालौन
20. जौनपुर
21. झांसी
22. कौशाम्बी
23. कुशीनगर
24. ललितपुर
25. महाराजगंज
26. महोबा
27. मिर्जापुर
28. प्रतापगढ़
29. प्रयागराज
30. संत रविदासनगर
31. संत कबीरनगर
32. श्रावस्ती
33. सिद्धार्थनगर
34. सोनभद्र
35. सुल्तानपुर

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
पार्श्वांकित जनपद।

संख्याः–5/260/2020–RGSA/04/2020, लखनऊ दिनांक30जून, 2020

विषय–नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनके स्वामित्व संबंधी अभिलेख तैयार करने की योजना "स्वामित्व" के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 29 मई एवं 01 जून, 2020 को भारत सरकार द्वारा संचालित "स्वामित्व योजना" के क्रियान्वयन संबंधी आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंस तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्र दिनांक 24 जून, 2020 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें स्वामित्व योजनान्तर्गत चयनित जनपदों की ग्राम पंचायतों में भारतीय सर्वे विभाग द्वारा ड्रोन की सहायता से ग्राम की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक सम्पत्ति का डिजिटल रूप से नक्शा बनाने, प्रत्येक राजस्व खण्ड की सीमाओं का निर्धारण करने तथा सटीक मापन के आधार पर गॉव के प्रत्येक घर का सम्पत्ति कार्ड बनाने का कार्य राजस्व विभाग द्वारा तथा योजना संबंधी प्रचार–प्रसार का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा। योजना के प्रचार–प्रसार एवं प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर निम्नलिखित आई.ई.सी. गतिविधियों का प्रयोग किया जायेगा :–

क्र. सं.	गतिविधि	संख्या	स्थान
1.	दीवार लेखन– स्लोगन (5 X 3 वर्ग फीट)	05 स्थानों पर	**सार्वजनिक स्थानों पर।** कार्य ग्राम पंचायत द्वारा प्रषासनिक मद की धनराषि से कराया जायेगा जिसपर व्यय लगभग रू0 2000 की सीमा तक।
2.	पेन्टिंग (वॉल पेन्टिंग लिखाई के साथ) (10 X 12 वर्ग फीट)	03 स्थानों पर	**पंचायत भवन पर।** पं0 भवन की अनुपलब्धता होने पर विद्यालय अथवा सार्वजनिक स्थान पर। ग्राम पंचायत द्वारा प्रषासनिक मद की धनराषि से कराया जायेगा जिसपर व्यय लगभग रू0 15,000 की सीमा तक।
3.	बैनर (10 X 12 वर्ग फीट)	04 स्थानों पर	**01**–चयनित ग्राम पंचायत में (मुख्य प्रवेष मार्ग पर) **01**–विकास खण्ड मुख्यालय **01**–विकास भवन **01**–कलेक्ट्रेट कार्यालय कार्य जनपद स्तर से कराया जायेगा जिसपर व्यय लगभग रू0 6,000 की सीमा तक।
4.	ग्राम प्रधान के स्तर से पत्र भेजा जाना	सभी परिवारों को	पत्र का आलेख्य निदेषालय के स्तर से भेजा जायेगा।
क्रम संख्या–1, 2 तथा 3 हेतु सामग्री संलग्नक–1, 2 एवं 3 पर संलग्न है।			

Scanned with CamScanner

अवगत कराना है कि दीवार लेखन एवं पेन्टिंग व बैनर हेतु विभाग के स्तर पर सामग्री का निर्माण किया गया है जिसे चयनित ग्राम पंचायतों में योजना के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से पेन्ट किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेषालय स्तर पर अन्य प्रचार–प्रसार सामग्री का निर्माण किया जा रहा है जिसे पृथक से जनपदों को प्रेषित किया जायेगा। ग्राम पंचायत/विकास खण्ड मुख्यालय तथा जनपद मुख्यालय पर बैनर लगाया जायेगा जिससे कि ग्रामवासियों को योजना के बारे में पूर्ण जानकारी हो सके तथा नक्शा बनाने की प्रक्रिया में ग्रामवासियों का सहयोग प्राप्त हो सके। जनपदों में उक्त कार्य जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जायेगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करें कि समस्त ग्राम पंचायत वासियों को **योजना की जानकारी हो तथा सर्वे के दौरान उनके द्वारा अधिक–से–अधिक सहयोग** प्रदान किया जाये जिसके लिये ग्राम प्रधान द्वारा अपनी ग्राम पंचायत के सभी परिवारों को स्वयं पत्र लिख कर उनकी प्रतिभागिता एवं सहयोग सुनिश्चित किया जाये।

उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न 03 विभागों की है:–

1. भारतीय सर्वेक्षण विभाग
2. राजस्व विभाग
3. पंचायती राज विभाग

उक्त समस्त विभागों द्वारा भिन्न–भिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना है। भारत सरकार स्तर से जारी योजना की गाइडलाइन के पृष्ठ संख्या 21 से 35 में **बिन्दु संख्या–6–हितधारकों–भूमिका एवं उत्तरदायित्व तथा बिन्दु संख्या–7–गतिविधियॉ मैपिंग** में सभी विभागों का उत्तरदायित्व तय किया गया है।

अतः उक्तानुसार योजना के बेहतर प्रचार–प्रसार एवं ग्राम वासियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिये संलग्न डिजाइन के अनुसार आई.ई.सी. सामग्री का सुन्दर एवं स्पष्ट चित्रण ग्राम पंचायतों में कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

Kinjal Singh

(किंजल सिंह)
निदेशक।

संख्याःRGSA/260/1/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सम्बंधित मंडलीय उपनिदेशक(पं0), पंचायती राज, उत्तर प्रदेष।
3. सम्बंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेष।
4. सम्बंधित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेष।

Kinjal Singh

(किंजल सिंह)
निदेशक।

Scanned with CamScanner